न्यायालय सिविल जज जू0डि0 अतर्रा, बांदा
मूलवाद सं0– 40/2023
रामदेवी बनाम रामसनेही आदि

दिनांक–17.04.2023

प्रार्थना पत्र 6ग2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 मय शपथपत्र 7ग2 पर वादिया के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

वादिया के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एकपक्षीय बहस में कथन किया गया है कि वादिया के पुत्र राकेश बंगाली पुरवा में पिता द्वारा बनाये गये मकान में पिता के जीवनकाल से रहता आ रहा है, वादिया का उक्त मकान गाटा सं0 2419 बंजर खाते में बना है, जो बंजर खाते में रकबा 0.455 हे0 पर स्थित 40 वर्ष पूर्व से है। वादिया के पति का कब्जा सन् 1990 से है तथा 20 गुणा 15 मे मकान बनाकर बाउण्डरी बनाकर निवास करते थे, लोहे का फाटक लगा दिया था, पानी पीने के लिये हैण्डपम्प भी उक्त मकान में लगा था। वादिया के पति द्वारा तहसीलदार अतर्रा को प्रार्थनापत्र देने पर दिनांक 25.01.2015 को तहसीलदार अतर्रा द्वारा राजस्व निरीक्षक व लेखपाल से जांचकर आख्या मांगी थी, उक्त प्रार्थनापत्र में रामदीन ने गाटा सं0 2041, 2008 व 2419, 2508 पर अपना कब्जा दर्शाया था और 122 बी4एफ के आधार पर खतौनी में नाम दर्ज करने का अनुशंसा किया था, लेकिन तहसीलदार की लापरवाही के कारण इस पर कार्यवाही नहीं की गयी, जबकि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को कब्जे के आधार पर भूमिधर घोषित हो जाना चाहिये था। लेखपाल ने मौके पर जाकर उक्त गाटों का निरीक्षण किया तथा तत्कालीन प्रधान व अन्य लोगों के बयान दर्ज किये तथा रिपोर्ट तहसीलदार अतर्रा को प्रेषित की, जिसमें मौके पर गाटा सं0 2419 में 6 फिट उंची दीवाले व 20 गुणा 15 फुट में बनी हुयी पाया व शेष रकबे में जुताई बुआई भी किया था, मौके में रामदीन का कब्जा भी पाया, अपनी रिपोर्ट में यह भी दर्शाया था कि रामदीन का सन् 1990 के पूर्व से कब्जा है। वर्तमान प्रधान पति रामसनेही सोनकर ने प्रतिवादी सं0 3 व 4 को दिनांक 09.11.2021 को सुबह 11 बजे वादिया के उक्त मकान में लगे ताला को अपने सहयोगियों से तोडवाकर फाटक के अन्दर रखी लोहे की 20 व 22 फुट लम्बी 10 छडे उठाकर ले गये, वादिया ने मना किया तो उक्त लोग नहीं माने तथा कहा कि रिपोर्ट किया तो जान से मार डालेंगे। अभियुक्तगण के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज न हो पाने के कारण प्रतिवादी सं0 1 व 2 की सह पर प्रतिवादी सं0 3 व 4 द्वारा वादिया की भूमि व मकान व प्लाट में कब्जा करने हेतु बालू सीमेण्ट रखवाना शुरू कर दिया तथा दिनांक 11.04.2023 से निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया। उक्त अवैध निर्माण वादिया के मकान के पूर्व उत्तर में 25 गुणा 20 में कराया जा रहा है। वादिया के खेत व मकान चौहददी में पूर्व दिशा में मूलचन्द्र वर्मा का पश्चिम दिशा में रामकिशन का खेत व उत्तर दिशा में मूलचन्द्र का खेत व दक्षिण में श्रीमती झांकी पत्नी भोला सोनकर का खेत है। प्रतिवादीगण यदि वादिया के मकान में व खेतिहर भूमि गाटा सं0 2419 में कब्जा करने व निर्माण करने में सफल हो जायेंगे तो वादिया को अपूर्णनीय क्षति होगी। जरिये स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को मना कर दिया जावे कि वह वादिया के शांतिपूर्ण कब्जे में व्यवधान उत्पन्न न करें और न ही जबरियन कब्जा करके निर्माण करें।

सुना तथा पत्रावली का परीशीलन किया।

वादिया द्वारा सूची 8ग1 से खतौनी गाटा सं0 2419 की प्रमाणित प्रति कागज सं0 9ग1, तहसीलदार अतर्रा को प्रेषित प्रार्थनापत्र द्वारा रामदीन संलग्न लेखपाल आख्या द्वारा बदौसा मय बयान प्रधान व अन्य कागज सं0 10ग1, थानाध्यक्ष बदौसा को सम्बोधित प्रार्थनापत्र प्रति, शपथपत्र लालचन्द्र पूर्व प्रधान की प्रति, शपथपत्र घनश्याम निवासी बदौसा की प्रति दाखिल की गयी है। तहसीलदार अतर्रा को दिये गये प्रार्थनापत्र कागज सं0 10ग1 पर लेखपाल की आख्यानुसार गाटा सं0 2419 रकबा 0.455 हे0 में रामदीन का कच्चा मकान पाया गया, गाटा सं0 2419 में छः फुट की दीवाल 20 गुणा 15 फुट के रकबे पर बनी हुयी है तथा मौके पर रामदीन का कब्जा सन् 1990 के पूर्व से है, पूर्व प्रधान लालचन्द्र तथा घनश्याम ने इस तथ्य का शपथपत्र दाखिल किया है कि रामदीन गाटा सं0 2419 रकबा 0.455 पर मकान बनाकर खेती का कार्य करता चला आ रहा है। कब्जा स्वामित्व का 9/10 वां भाग होता है। उक्त प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिया विवादित भूमि पर सन् 1990 के पूर्व से कब्जे में चली आ रही है। मामला आवश्यक प्रकृति का प्रतीत हो रहा है।

मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय राम रामेश्वरी देवी बनाम निर्मला देवी 2011(8) एस0सी0सी0 249 के प्रकाश में तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में निम्नांकित आदेश पारित किया जाता है–

1. प्रतिवादीगण को दिनांक 01.05.2023 तक के लिये आदेशित किया जाता है कि वह वादपत्र में वर्णित विवादित भूमि गाटा सं0 2419 में स्थित मकान पर किसी भी प्रकार से कब्जा व निर्माण न करें।
2. उपर्युक्त अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश तभी प्रभावी होगा जब वादिया इस आशय की अण्डरटेंकिंग शपथपत्र के साथ दाखिल करे कि यदि भविष्य में उसका दावा गलत पाया जाता है तो वह बाजार मूल्य पर प्रतिवादीगण को एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा से हुयी असुविधा/ क्षति हेतु क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा तथा इस आदेश का प्रभाव राजस्व विभाग की कार्यवाही पर नहीं होगा।
3. वादिया आदेश 39 नियम 3 का अनुपालन 24 घंटे के अन्दर करें।
4. 6ग2 पर आपत्ति हेतु प्रतिवादीगण को जरिये विशेष वाहक नोटिस जारी हो। वादिया आवश्यक पैरवी अविलम्ब करे।

उपर्युक्त का पालन न किये जाने अथवा वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 6ग2 की सुनवाई हीलाहवाली किये जाने पर एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगा।

पत्रावली वास्ते आपत्ति/ सुनवाई 6ग2 दिनांक 01.05.2023 को पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0) अतर्रा
बांदा।